

डिग्री बमुकदमें ईब्लादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-153/2019

1. संदीपसिंह पुत्र बिल्लूसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी हाल आबाद घुमियारा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)

वादी

बनाम

1. अमरजीतकौर बेवा बिल्लूसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी हाल आबाद घुमियारा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
2. परमजीत कौर पुत्री बिल्लूसिंह पत्नी जगतारसिंह } जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी
3. कुलविन्द्र कौर पुत्री बिल्लूसिंह पत्नी बलकारसिंह } सिंगराना तह0 व जिला मुक्तसर।
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी अब्दुल सत्तार जोईया मिन जामिन मुदई श्री हरबंशसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 3 एसबीएन पटवार हल्का साबुआना के प0न0 220/200 मुरब्बा नं0 48 किलानं0 8/2/.126 है0, 9,13 कुल .632 है0 आराजी के संयुक्त खाता में बिल्लूसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 2 एसबीएन के खाता सं0 117/108 में से बिल्लूसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...5-9-19.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी